

**GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC AUTHORITY
SEEPZ-SEZ, ANDHERI(E)
MUMBAI-400096**

F. No. SEEPZ-SEZ/ATH/AS-LTL/391/2016-17 / 00853 16.1.2017

CIRCULAR No. 20 /2017

The modified Exit Policy in respect of premises in SDF-VII, Towers I & II of SEEPZ++, Multistoried Building (allotted to units by recovering cost) and self-built factories on plots in SEEPZ-SEZ or part thereof is hosted on the website www.seepz.gov.in.

Applications are invited from the existing SEEPZ unit/new entrepreneurs interested in allotment of space in SEEPZ-SEZ. They may submit application accordingly on or before **16.02.2017**.

The waitlist will be maintained for 90 days from the date of application. The application received will be examined by the Committee constituted for the purpose and will give its recommendation based on the criteria specified in the modified Exit Policy.

The premises becoming available during the validity period of 90 days of the waitlist will be considered for allotment. In case no premises are available for allotment, the waitlist would lapse after 90 days from the last date prescribed for submission of application.



(V.P. Shukla)
Estate Manager/JDC
SEEPZ-SEZ Authority

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

सं.सीपज़-सेज़/प्राधि./एस-एलटीएल/391/2016-17/

दिनांक: 16.01.2017

परिपत्र संख्या /2017

सीपज़++ के एसडीएफ VII, टॉवर I तथा II के परिसरों, बहुमंजिले भवन (लागत वसूली करके यूनिटों को आवंटित) तथा सीपज़-सेज़ अथवा इसके किसी हिस्से के भूखंडों के प्लाटों अथवा उसके हिस्से पर स्वनिर्मित कारखानों के संबंध में आशोधित बहिर्गमन नीति इस कार्यालय के वेबसाइट www.seepz.gov.in पर अपलोड की गई है।

सीपज़-सेज़ में स्थानों के आवंटन के लिए मौजूदा सीपज़ यूनिटों / नए अद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तदनुसार वे दिनांक 16.02.2017 तक अथवा इसके पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिनों तक प्रतीक्षा सूची वैध रहेगी। प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा की जाएगी तथा यह समिति आशोधित बहिर्गमन नीति में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

प्रतीक्षा सूची के 90 दिनों की वैधता अवधि के दौरान उपलब्ध होने वाले परिसरों के आवंटन पर विचार किया जाएगा। यदि इस अवधि के दौरान कोई परिसर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम निर्धारित तिथि से 90 दिनों के बाद प्रतीक्षा सूची व्यपगत हो जाएगी।



(विजय प्रकाश शुक्ल)

संपदा प्रबंधक /

संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़ प्राधिकरण